न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/572

1. सीताबाई पत्नी मांगीलाल उम्र 67 वर्ष ।
2. मुकेश राज पुत्र मांगीलाल उम्र 45 वर्ष ।
3. राजेश कुमार पुत्र मांगीलाल उम्र 42 वर्ष ।
4. राकेश कुमार पुत्र मांगीलाल आयु 38 वर्ष जाति नायक निवासीगण फ्रेण्डस कॉलोनी मकान नं0 25 बोरखेडा, कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. कमलेश कुमर पुत्री मांगीलाल पत्नी मुकेश सिंह उम्र 40 वर्ष जाति नायक निवासी पोस्ट आफिस के पीछे नयापुरा कोटा ।
2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री गोविन्द सिंह चौहान, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री मोहम्मद साबिर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 1 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 26.12.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.06.2018 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम देवपुरा तहसील दीगोद में खसरा नम्बर 583 की 2.89 हैक्टर, खसरा नम्बर 675 की 0.57 हैक्टर, खसरा नम्बर 695 की 0.91 हैक्टर कुल 03 किता की 4.37 हैक्टर भूमि स्थित है। उक्त भूमि पूर्व में वादिनी व प्रतिवादी क्रम 1 के पति व प्रतिवादी क्रम 2 से 4 के पिता मांग्या आत्मज बजरंग लाल जी के खाते में दर्ज चली आ रही थी । मांग्या की मृत्यु के बाद उक्त भूमियॉ वादिनी व प्रतिवादी क्रम 1 से 4 के शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही हैं । उक्त भूमि में वादिनी का 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी क्रम 1 से 4-प्रत्येक का 1/5 – 1/5 हिस्सा है। ग्राम देवपुरा में खसरा नम्बर 644 की 0.51 हैक्टर व खसरा नम्बर 644/1 की 0.04 हैक्टर कुल दो किता की 0.55 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि में मांग्या जी का 1/2 हिस्सा दर्ज था । मांग्या की मृत्यु के पश्चात् उक्त भूमि में से 1/2 हिस्से की भूमि वादिनी व प्रतिवादी क्रम 1 से 4 के नाम दर्ज हुई जिसमें वादिनी का 1/10 हिस्सा व प्रतिवादी क्रम 1 से 4 प्रत्येक का 1/10, –1/10 हिस्सा व प्रतिवादी क्रम 5 का 1/2 हिस्सा है । उक्त भूमि

पक्षकारान के शामलाती खातेदारी में दर्ज चली आ रही है । वादिनी वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन करवाना चाहती है जिसका उन्हें विधिक अधिकार प्राप्त है ।

3. अतः वादिनी के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि ग्राम देवपुरा तहसील दीगोद की आराजी कुल 03 किता की 4.37 हैक्टर भूमि का वादिनी एवं प्रतिवादीगण क्रम 1 से 4 के मध्य विभाजन किया जाकर वादिनी के 1/5 हिस्से की भूमि को वादिनी के अलग खाते दर्ज किया जावे तथा अलग से लगान कायम किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.06.2018 के द्वारा वाद वादिनी स्वीकार करते हुए पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित करने का आदेश पारित किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.06.2018 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी अपीलान्ट को लोक अदालत की सूचना दिये बिना ही उसकी अनुपस्थिति में एक पक्षीय रूप से वादिनी के पक्ष में एकतरफा निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जबकि अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकारान द्वारा कोई राजीनामा भी पेश नहीं किया है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 18.06.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया है जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी । उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 08.10.2018 को पटवारी हल्का द्वारा बताने पर हुई जिस पर उक्त निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है। अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि वादिनी ने एक दावा अन्तर्गत धरा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया था जो साक्ष्य में लम्बित था बिना अपीलान्ट को सूचना दिये पत्रावली को लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में बिना अपीलान्ट को सूचना दिये एकपक्षीय रूप से दावा डिक्री किया गया । सीपीसी की पालना नहीं की गई है, पक्षकारों के द्वारा कोई राजीनामा भी पेश नहीं किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.06.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि पत्रावली लोक अदालत में रखी गई थी । लोक अदालत में प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हुए हैं । वादिनी उपस्थित हुई थी, वादिनी का राजस्व रिकॉर्ड में 1/5 हिस्सा दर्ज है । हिस्से के अनुसार विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की गई है जो विधि सम्मत है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय

एवं डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.06.2018 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली साक्ष्य में लम्बित थी और गवाह पीडब्ल्यू–3 की जिरह के लिए दिनांक 18.06.2018 की तारीख नियत की गई थी । इसे दिनांक 18.06.2018 को ही लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में सिर्फ वादिनी ही उपस्थित हुई है, प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हुए हैं । पक्षकारान के द्वारा कोई राजीनामा भी पेश नहीं किया गया है और इसी दिनांक को निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है । अधीनस्थ न्यायालय में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर 08 तनकीयात कायम की गई है जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ संख्या 13 पर हैं । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निर्णय किया जाता है जिसमें उभयपक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे इसके अभाव में सीपीसी की पालना करते हुए दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाना चाहिए । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.06.2018 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह दावे एवं जवाबदावे के आधार पर कायम प्रत्येक तनकीयात पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट विवेचन करते हुए गुणावगुण के आधार पर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करे । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 25.02.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 26.12.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

26.12.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा